रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241494
CG-DL-E-29122022-241494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944
No. 705] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/5/2022-PSPM Division.—जबकि मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, उस्मान रोड, टी-नगर, चेन्नई-600017 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 150 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट गांव अथिकिनार और पोडुपट्टी, तहसील-एट्टायपुरम, जिला- तूतीकोरिन (तमिलनाडु) की कनेक्टिविटी तूतीकोरिन – II (GIS) थूथुक्कुडी तमिलनाडु" के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सी.ई.ए-पी.एस-11-21/1/2021-पी.एस.पी.ए-I डिवीजन/I/15504/2021 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के 150 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट गांव अथिकिनार और पोडुपट्टी, तहसील-एट्टायपुरम, जिला- तूतीकोरिन (तमिलनाडु) की कनेक्टिविटी तूतीकोरिन – II (GIS) थूथुक्कुडी तमिलनाडु" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 23.08.2021 (द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी में), त्रिची / मदुरई प्रकाशन), दिनांक 23.08.2021 (मलाइमलर (तमिल में), थूथुक्कुडी प्रकाशन), दिनांक 23.09.2021 (द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेज़ी में), त्रिची / मदुरई प्रकाशन) तथा भारत का राजपत्र दिनांक 23.10.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 23.05.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें

घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड” ने अपने प्रस्तावित 150 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट गांव अथिकिनार और पोडुपट्टी, तहसील-एट्टायपुरम, जिला-तूतीकोरिन (तमिलनाडु) की तूतीकोरिन – II (GIS), थूथुक्कुडी तमिलनाडु से कनेक्टिविटी के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - तूतीकोरिन- II (GIS) ISTS 230 के वी S/C लाइन

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवो के नाम	तालुक	जिला	राज्य
अथिकिनार , पोडुपट्टी	एट्टायपुरम	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
अचनकुलम , कुरूविनाथम	कायथर	तूतीकोरिन	तमिलनाडु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, “मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड” को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) “मैसर्स जीआरटी ज्वैलर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड” को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./521/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 15th November, 2022

F. No. CEA-PS-13-23(13)/5/2022-PSPM Division.—Whereas M/s GRT Jewellers (India) Private Limited, the applicant with its registered office at 138,Usman Road, T.Nagar, Chennai – 600017, has applied for authorization u/s 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system for

150 MW Solar Power Project of GRT Jewellers (India) Private Limited in Village Athikinar & Podupatti, Tehsil – Ettayapuram, Dist.- Tuticorin, Tamil Nadu" Connected to Tuticorin-II (GIS), Thoothukkudi

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No.CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division/I/15504/2021 dated 10.05.21 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s GRT Jewellers (India) Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme "Connectivity system for 150 MW Solar Power Project of GRT Jewellers (India) Private Limited in Village Athikinar & Podupatti, Tehsil – Ettayapuram, Dist.- Tuticorin, Tamil Nadu" Connected to Tuticorin-II (GIS), Thoothukkudi.

M/s GRT Jewellers (India) Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 23.08.2021 (The New Indian Express (in English), Trichy / Madurai edition), dated 23.08.2021 (Malaimalar (in Tamil), Thoothukkudi edition), dated 23.09.2021 (The Times of India (in English), Trichy / Madurai edition) and in Gazette of India dated 23.10.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s GRT Jewellers (India) Private Limited has submitted an affidavit dated 23.05.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity system for 150 MW Solar Power Project of GRT Jewellers (India) Private Limited in Village Athikinar & Podupatti, Tehsil – Ettayapuram, Dist.- Tuticorin, Tamil Nadu" Connected to Tuticorin-II (GIS), Thoothukkudi. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

i) GRT Jewellers (India) Private Limited – Tuticorin-II (GIS) ISTS 230 kV S/C line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Athikinar, Podupatti	Ettayapuram	Tuticorin	Tamil Nadu
Achangulam, Kuruvinatham	Kayathar	Tuticorin	Tamil Nadu

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s GRT Jewellers (India) Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line;

(iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s GRT Jewellers (India) Private Limited shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy., CEA

[ADVT.-III/4/Exty./521/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.29 22:17:41 +05'30'